<u>न्यायालय :— पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड,म.प्र.</u> (आप.प्रक.क्रमांक :— 284 / 2015) (संस्थित दिनांक :— 25 / 05 / 2015)

म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :– मालनपुर जिला–भिण्ड., म.प्र. **अभियोजन।** 

## / / विरूद्ध / /

- 01. पान सिंह कुशवाह पुत्र जीवाराम कुशवाह उम्र 51 वर्ष।

<u>// निर्णय//</u> ( आज दिनांक : 12/07/2017 को घोषित )

01. अभियुक्तगण पान सिंह एवं ओमी उर्फ ओमप्रकाश पर भा.द.सं. की धारा 294, 324/34 एवं 506 भाग।। के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :— 08/01/2015 को शाम लगभग 05:00 बजे फरियादी विजय सिंह उर्फ बंटी के घर के सामने स्थित कुशवाह कॉलौनी मालनपुर में, जो कि एक लोकस्थान है, पर फरियादी विजय सिंह उर्फ बंटी को मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी विजय सिंह की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्तगण ने घातक आयुध सरिया से फरियादी विजय सिंह की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की एवं फरियादी विजय सिंह को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

- 02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।
- 03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :— 08/01/2015 को शाम लगभग 05:00 बजे फरियादी विजय सिंह उर्फ बंटी के घर के सामने स्थित कुशवाह कॉलौनी मालनपुर में, आरोपीगण पान सिंह, ओमी उर्फ ओमप्रकाश एवं गजेन्द्र द्वारा फरियादी विजय सिंह उर्फ बंटी से गाली—गलौच करने, उसकी सरिया एवं डण्डे से मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी विजय सिंह उर्फ बंटी द्वारा उसी दिनांक को शाम 05:30 बजे थाना मालनपुर पर की जाने पर, थाना मालनपुर में आरोपीगण पान सिंह, गजेन्द्र एवं ओमी उर्फ ओमप्रकाश के

विरुद्ध अपराध क्रमांक 03/15 अन्तर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। सहपिठत धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान दिनांक : 08/01/2015 को ही शाम 05:50 बजे घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण पान सिंह एवं ओमी उर्फ ओमप्रकाश को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। आरोपी पान सिंह से एक लोहे का सरिया जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। दिनांक : 08/01/2015 को ही फरियादी विजय सिंह उर्फ बंटी, साक्षी रामबाबू एवं दिनांक : 29/01/2015 को गुड्डी उर्फ रेनू के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर आरोपी पान सिंह एवं ओमी उर्फ ओमप्रकाश के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अपचारी बालक गजेन्द्र सिंह के विरुद्ध अभियोग पत्र किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

- 04. अभियुक्तगण ओमी उर्फ ओमप्रकाश एवं पान सिंह के विरूद्ध धारा 294, 324 / 34, 506 भाग।। भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया।
- 05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उनका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से सारतः इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।
- 06. न्यायिक विनिश्चय हेत् प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :--
  - 01. क्या आरोपीगण ओमी उर्फ ओमप्रकाश एवं पान सिंह ने दिनांक :—
    08/01/2015 को शाम लगभग 05:00 बजे फरियादी विजय सिंह उर्फ बंटी के घर के सामने स्थित कुशवाह कॉलौनी मालनपुर में, जो कि एक लोकस्थान है, पर फरियादी विजय सिंह उर्फ बंटी को मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया?
  - 02. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी विजय सिंह की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्तगण ने घातक आयुध सरिया से फरियादी विजय सिंह की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की?
  - 03. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी विजय सिंह उर्फ बंटी को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

## 04. अंतिम निष्कर्ष?

## <u>सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष</u> विचारणीय बिन्दु कमांक : 01 लगायत 03

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी विजय सिंह उर्फ बंटी अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण पान सिंह, गजेन्द्र सिंह एवं ओमी उर्फ ओमप्रकाश को जानता है, आरोपीगण उसके पड़ोसी है। घटना दिनांक : 08/01/2015 के शाम 05:00 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि वह कुशवाह कॉलौनी से जा रहा था, तभी आरोपी पान सिंह उसे मॉ—बहन की गाली—गलौच करने लगा। उसने गाली देने से मना किया, तो ओमी उर्फ ओमप्रकाश ने उसे जूते से मारा, जो उसके सिर में लगा। फिर गजेन्द्र ने उसे लाठी मारी, जो उसके सिर के पीछे लगी एवं पान सिंह ने उसे सिरया मारा, जो उसके सिर में बाई तरफ लगा। साक्षी आगे कहता है कि तभी रामबाबू, मनीष एवं गुड़डी आ गये, जिन्होंने बीच—बचाव कराया। तभी आरोपीगण बोले कि आज तो बच गया आइंदा जान से खत्म कर देगें। उसके द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मालनपुर में की थी, जो प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर नक्शा—मौका प्र.पी.03 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

09. प्रति—परीक्षण के पद क्रमांक 02 में फरियादी विजय उर्फ बंटी अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह कोहरा होने की वजह से अपनी छत से गिर गया था, जिससे उसे चोटें आई थी और उन्हीं चोटों के आधार पर उसने आरोपीगण के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट की थी। प्रति—परीक्षण के पद क्रमांक 03 में फरियादी विजय उर्फ बंटी अ.सा.01 का कहना है कि वह शाम पाँच बजे झगड़ा होने के एक घण्टे बाद थाना मालनपुर पहुँच गया था और पुलिस ने उसके पहुँचते ही शाम 06 बजे उसकी रिपोर्ट लेखबद्ध कर ली थी और उसके बाद पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई थी। जबिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि फरियादी की रिपोर्ट दिनांक : 08/01/2015 को शाम 06 बजे लेखबद्ध ना की जाकर शाम 05:30 बजे ही लेखबद्ध कर ली गई थी। उल्लेखनीय है कि जब फरियादी विजय सिंह उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के अनुसार शाम 06 बजे के पूर्व थाना मालनपुर पहुँचा ही नहीं था, तब उसकी रिपोर्ट शाम 05:30 बजे किस प्रकार लेखबद्ध की गई, इस वावत् प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक गजेन्द्र सिंह अ.सा.05 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य मौन है और यह तथ्य अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है।

10. साक्षी रामबाबू अ.सा.03 का उसके मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 02 में कहना है कि वह उसके भाई आहत विजय को घायल अवस्था में उठाकर थाने ले गया था, जहाँ पर विजय अ.सा.02 ने घटना की रिपोर्ट की थी। जबिक प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक गजेन्द्र सिंह अ.सा.05 का प्रति—परीक्षण के पद क्रमांक 03 में कहना है कि फरियादी विजय अ.सा.01 रिपोर्ट लिखाने अकेला ही उसके पास आया था, अन्य कोई व्यक्ति उसके साथ नहीं आया था। फरियादी विजय अ.सा.02 ने भी उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में रिपोर्ट लिखाने के लिए उसके भाई रामबाबू अ.सा.03 का उसके साथ थाने जाकर रिपोर्ट लिखाने का तथ्य नहीं बताया है। इस प्रकार घटना की रिपोर्ट लिखाने के लिए फरियादी विजय अ.सा.03 अकेला गया था, अथवा उसके भाई रामबाबू अ.सा.03 के साथ गया था, इस वावत् फरियादी विजय अ.सा.02, उसके भाई रामबाबू अ.सा. 03 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक गजेन्द्र सिंह अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभाष है।

प्रति-परीक्षण के पद कमांक 03 में फरियादी विजय अ.सा.02 का कहना है कि रिपोर्ट करने के लिए 06:00 बजे थाना मालनपुर पहुँचने के पश्चात् पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई थी और वह शाम लगभग 06:15 बजे एम्बूलेंस से चिकित्सालय गोहद पहुँच गया था, जहाँ पर लगभग एक घण्टे तक उसका उपचार चला था, तत्पश्चात दिनांक : 08 / 01 / 2015 को ही पुलिस लगभग 07:00 बजे उसके घर घटनास्थल पर पहुँची थी, जहाँ नक्शा-मौका प्र.पी.03 बनाया था। साक्षी आगे कहता है कि ऐसा नहीं हुआ था कि पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा—मौका घटना दिनांक को ही शाम लगभग 05:50 बजे बनाया हो। जबकि नक्शा–मौका प्र.पी.03 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उसमें नक्शा—मौका प्र.पी.03 बनाये जाने का समय दिनांक : 08 / 01 / 2015 की शाम 17:50 अर्थात् 05:50 बजे का होना दर्शित होता है। नक्शा–मौका बनाने वाले विवेचक ओमवीर अ.सा.०६ का उसके प्रति–परीक्षण के पद कमांक ०३ में कहना है कि वह नक्शा–मौका प्र.पी.03 बनाये जाने का समय नहीं बता सकता। इस प्रकार नक्शा-मौका प्र.पी.03 दिनांक : 08 / 01 / 2015 को शाम 05:50 बजे बनाया गया था, अथवा शाम 07:00 बजे, इस वावत् फरियादी विजय अ.सा.०२, विवेचक ओमवीर अ.सा.०६ के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं नक्शा—मौका प्र.पी.03 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभाष है। उल्लेखनीय यह है कि फरियादी विजय अ.सा.02 के अनुसार घटना में वह गंभीर रूप से घायल हुआ था और उसका मेडीकल परीक्षण करने वाले डॉक्टर विमलेश गौतम अ.सा.01 का उनके मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 03 में यह कहना है कि उसने आहत विजय अ.सा.02 का मेडीकल परीक्षण शाम 06:35 बजे किया था, जिसकी पृष्टि उसके द्वारा दी गई मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों से भी हो रही है। ऐसी दशा में गंभीर रूप से आहत / फरियादी विजय अ.सा.०२ जो कि दिनांक : 08/01/2015 को शाम 06:35 बजे तक सीएचसी गोहद में ईलाजरत था. की निशानदेही पर शाम 05:50 बजे घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया जाना अभियोजन कथा की सत्यता को गंभीर रूप से संदेहास्पद बनाता है। उल्लेखनीय यह भी है कि फरियादी विजय अ.सा.०२ ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि आरोपीगण द्वारा किस तात्कालिक कारण से उसकी मारपीट की थी।

साक्षी रामबाबू अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण पान सिंह, गजेन्द्र सिंह एवं ओमी उर्फ ओमप्रकाश को जानता है। घटना 08 तारीख की वर्ष 2015 की है, महीना वह बता नहीं सकता। साक्षी आगे कहता है कि ६ ाटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 17/08/2016 से लगभग एक साल पहले की शाम पाँच बजे की आरोपी पान सिंह के घर के दरवाजे के पास की कुशवाह कॉलौनी मालनपुर की है। साक्षी आगे कहता है कि वह फरियादी बंटी उर्फ विजय सिंह को भी जानता है, वह उसका भाई है। घटना के समय उसका भाई हरीराम की क्ईयाँ से सब्जी लेकर घर वापस आ रहा था, जब वह आरोपीगण के घर के दरवाजें के सामने पहुँचा तो आरोपीगण ने बंटी से गाली-गलौच कर उसकी मारपीट की थी। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी पान सिंह ने विजय को सरिया मारा था। आरोपी ओमी ने बंटी को जुत एवं गजेन्द्र ने डण्डे से मारपीट की थी। उसका घर एवं आरोपीगण का घर आस–पास है। जब उसने झगडे की आवाज सुनी तो वह बाहर आया तो उसने विजय उर्फ बंटी को आहत अवस्था में देखा और उसने विजय को उठाया। साक्षी आगे कहता है कि आहत विजय को उठाकर वह थाने ले गया था। थाने पर घटना की रिपोर्ट बंटी उर्फ विजय सिंह ने की थी। पुलिस ने उसका बयान लिया था और आहत बंटी उर्फ विजय को ईलाज हेत् गोहद चिकित्सालय भेज दिया था। प्रति–परीक्षण के पद कमांक 03 में रामबाबू अ.सा.03 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब वह घर के बाहर निकला, तब विजय सिंह अ.सा. 01 की मारपीट हो चुकी थी और उसने विजय सिंह की मारपीट होते हुए नहीं देखी थी। इस प्रकार यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना प्रतीत नहीं होता है, बल्कि वह घटना का अनुश्रुत साक्षी होना प्रतीत होता है, जिसकी अभिसाक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

साक्षी गुड्डी उर्फ रेनू अ.सा.०४ का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण पान सिंह, गजेन्द्र सिंह एवं ओमी उर्फ ओमप्रकाश को जानती है। वह फरियादी बंटी को भी जानती है, वह उसका देवर है। साक्षी आगे कहती है कि ध ाटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 17/10/2016 से 20-21 महीने पहले की होकर शाम 05 बजे की क्शवाह कॉलौनी हरीराम की कुईयॉ मालनपुर की है। उस समय उसका देवर बंटी बाजार से सामान लेकर आरोपी पान सिंह के दरवाजे से निकल रहा था, तो आरोपीगण ने विजय को गंदी-गंदी गालियाँ दी। बंटी ने आरोपीगण को गाली देने से रोका, तो आरोपीगण ने बंटी की मारपीट शुरू कर दी थी। साक्षी आगे कहती है कि आरोपी पान सिंह ने सरिये से, गजेन्द्र ने लाठी से एवं ओमप्रकाश ने जूते से विजय उर्फ बंटी की मारपीट की थी। उस समय वह अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसे उस समय बंटी के चीखने की आवाज सुनाई दी, तो वह भागकर पान सिंह के दरवाजे पर गई। वहाँ से वह बीच-बचाव करके विजय उर्फ बंटी को वापस लेकर आने लगी तो आरोपी पान सिंह ने विजय को घटना की रिपोर्ट उसके देवर विजय ने थाना मालनपुर में की थी। पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ कर उसका बयान लिया था। प्रति–परीक्षण के पद क्रमांक 03 में गुड्डी उर्फ रेनू अ.सा.04 का कहना है कि पुलिस ने उसका कथन घटना वाले दिन ही लिया था। ऐसा नहीं हुआ था कि पुलिस ने उसका कथन घटना के 20—21 दिन बाद लिया हो। जबिक विवेचक ओमवीर अ.सा.06 का उसके मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में कहना है कि उसने साक्षी गुड्डी उर्फ रेनू का कथन दिनांक : 29/01/2015 को अर्थात् घटना दिनांक : 08/01/2015 के लगभग 21 दिन बाद लेखबद्ध किया था। इस प्रकार गुड्डी उर्फ रेनू का कथन कब लेखबद्ध किया गया था, इस वावत् गुड्डी उर्फ रेनू अ.सा.04 एवं विवेचक ओमवीर अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभाष है।

अभियोजन साक्षी ओमवीर सिंह अ.सा.०६ का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 08/01/2015 को थाना मालनपुर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 03 / 2015 अन्तर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि विवेचना के दौरान उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही फरियादी विजय सिंह की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.03 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् उसके द्व ारा उक्त दिनांक को ही फरियादी विजय सिंह उर्फ बंटी एवं रामबाबू के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे एवं दिनांक : 29/01/2015 को साक्षी गुड्डी उर्फ रेनू के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, जिसमें अपनी ओर से कुछ भी ६ ाटाया-बढाया नहीं था। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 29 / 01 / 2015 को आरोपी पान सिंह को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र.पी.04 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही आरोपी पान सिंह से लोहे का सरिया जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.05 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् उसके द्वारा दिनांक : 18/05/2015 को आरोपी ओमी उर्फ ओमप्रकाश को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र.पी.06 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात विवेचना पूर्णकर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तृत किया था।

15. प्रति—परीक्षण के पद क्रमांक 04 में विवेचक ओमवीर अ.सा.06 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने आरोपीगण की गिरफ्तारी थाना मालनपुर पर की थी, परन्तु इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आरोपीगण की गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 एवं प्र.पी.06 में गिरफ्तारी का स्थान थाना मालनपुर होना अंकित है। आरोपी पान सिंह के गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि उसमें गिरफ्तारी का स्थान थाना मालनपुर अंकित है। विवेचक ओमवीर अ.सा.06 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसके द्वारा आरोपीगण की गिरफ्तारी किस स्थान पर की थी। विवेचक ओमवीर अ.सा.06 ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि यदि उसने आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनके गिरफ्तारी पत्रक थाना मालनपुर पर लेखबद्ध नहीं किये थे, तब उसके द्वारा गिरफ्तारी पत्रकों में गिरफ्तारी का स्थान थाना मालनपुर अंकित क्यों किया था। इस प्रकार नक्शा—मौका प्र.पी.03 निर्मित किये जाने का समय, साक्षी गुड़डी उर्फ रेनू अ.सा.

04 का पुलिस कथन लेखबद्ध किये जाने का दिनांक एवं आरोपीगण के गिरफ्तारी पत्रक में गिरफ्तारी का स्थान गलत लेखबद्ध किये जाने के कारण विवेचक ओमवीर द्व ारा की गई प्रकरण की विवेचना सम्पूर्ण अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाती है।

16. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण पान सिंह एवं ओमी उर्फ ओमप्रकाश ने दिनांक :— 08/01/2015 को शाम लगभग 05:00 बजे फरियादी विजय सिंह उर्फ बंटी के घर के सामने स्थित कुशवाह कॉलौनी मालनपुर में, जो कि एक लोकस्थान है, पर फरियादी विजय सिंह उर्फ बंटी को मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी विजय सिंह की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्तगण ने घातक आयुध सरिया से फरियादी विजय सिंह की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की एवं फरियादी विजय सिंह को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

## अंतिम निष्कर्ष

- 17. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपीगण पान सिंह एवं ओमी उर्फ ओमप्रकाश के विरूद्ध धारा 294, 324/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपीगण को धारा 294, 324/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।
- 18. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।
- 19. प्रकरण में आरोपी पान सिंह से जब्तशुदा एक लोहे का सरिया मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् नष्टकर व्ययनित की जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद (पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद